भीम
BhIM
भारत इंटीग्रेशन मिशन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(05)नविवि/मण्डापुरा (बालोतरा)/2025–15862   जयपुर, दिनांकः–यथा हस्ताक्षरित

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा घोषित करती है कि राजस्व ग्राम मण्डापुरा, तहसील पचपद्रा, जिला बालोतरा में नगर विकास न्यास, बालोतरा के स्वामित्व के खसरा संख्या 217 रकबा 0.7082 हैक्ट. व 4360/1123 रकबा 2.7939 हैक्ट. अर्थात कुल रकबा 3.5021 हैक्ट. में प्रस्तावित वाणिज्यिक योजना विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्तावित योजना की सीमायें निम्नानुसार हैः–

1. **उत्तर खसरा संख्या 1124/207**
2. **पूर्व खसरा संख्या 1120/207 व 216**
3. **दक्षिण खसरा संख्या 218, 2185/218 व 1131/215**
4. **पश्चिम खसरा संख्या 4359/1123, 221 व 219**

उपरोक्त योजना क्षेत्र में **सड़क/हाईवे का मार्गाधिकार 60 मीटर एवं मार्गाधिकार के बाद 30 मीटर चौड़ाई में प्लांटेशन बेल्ट रखे जाने की** सुनिश्चितता की जावे।

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्शा नगर विकास न्यास, बालोतरा के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.02.19 21:22:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20646634

4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, बालोतरा।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, बालोतरा।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
10. आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा।
11. अतिरिक्त निदेशक/प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.02.19 21:22:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20646634